दावा सं. 258/18

नेमीचन्द बनाम सुखानन्द

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ.
10/6/19	पत्रावली पेश है। वादीगण व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। बार-2 आवाज लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं। वादीगण व उनके वकील की अनुपस्थिति में वाद, अग्रम हाजरी व वादग्रस्त पैरवी के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली को एस.ए. 3 अनुसार होकर नियमानुसार ले जाने तथा वाद एकतरफा कोरम वाकाए हो।

Scanned by CamScanner